संख्या–303 / 23–2–95–96 / 94

प्रेषक,

मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

लखनऊ:दिनांक 3, फरवरी, 1995

विषय– लोक निर्माण विभाग के मार्गों व सेतुओं का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण के सम्बन्ध में मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं:–

(क) राज्य मार्ग

(ख) जिला मार्ग

(ग) अन्य जिला मार्ग

(घ) ग्रामीण सम्पर्क मार्ग

2– उपर्युक्त क, ख एवं ग में उल्लिखित श्रेणी के मार्गों एवं लोक निर्माण विभाग के सेतुओं का नाम, व्यक्ति विशेष के नाम पर रखना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे इनके पहचान की समस्या उत्पन्न होगी। सामान्यतः लोक निर्माण विभाग के मार्गों को उनके द्वारा सम्बद्ध स्थानों एवं सेतुओं को सम्बन्धित नदी के नाम से जाना जाय।

3– कोई ग्रामीण सम्पर्क मार्ग यदि किसी गांव का मुख्य मार्ग हो तथा यदि राजमार्ग से जुड़ता हो तो उसका नाम राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा जा सकता है, जिसने अपने जीवन काल में सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट भूमिका निभायी हो।

4— उपर्युक्त प्रस्तर—2 पर उल्लिखित मार्गों का नाम केवल ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखने पर विचार किया जाय जो उसी क्षेत्र से सम्बन्धित हो जिसमें ऐसा सार्वजनिक मार्ग अवस्थित हो तथा उसने सामाजिक सेवा, कला, खेल एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं द्वारा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हो।

5— यदि व्यक्ति के नाम में जाति का नाम आता है तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर नामकरण करते समय उस व्यक्ति के नाम से जाति वाला अंश हटा दिया जाय, लेकिन यह प्रतिबन्ध ऐसे व्यक्तियों पर लागू न होगा जो स्वतंत्रता के पूर्व के हो तथा इतिहास पुरूष बन चुके हों। उदाहरण के लिए पं0 मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद।

उपर्युक्त मार्ग दर्शक सिद्धांत नगर पालिका क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग के मार्गों का व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण के मामले में, जो मूलतः नगर विकास विभाग से संबंधित है, लागू नहीं होगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(मोहिन्दर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या—303(1)/23—2—95—तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिव, नगर विकास विभाग।
(4) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) गृह(सामान्य) अनुभाग।
(6) नगर विकास अनुभाग—7
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह0
(राधेश्याम पाण्डेय)
अनु सचिव।